

प्रति

हुमर गौरीशंकर सिन्हा
वि. निदेशाका माध्यमिक शिक्षा।

सेवा में,

सचिव,
सेन्सुस बोर्ड ऑफ सेकेन्डी, सुपेरान,
बिधा केन्द्र-2, कबू निदी सेन्टर,
प्रति बिहार, विकास मार्ग, नई दिल्ली-110092

पटना, दिनांक 22 मई 2002

विषय:- निजी विद्यालयों को सेन्सुस बोर्ड ऑफ सेकेन्डी सुपेरान, नई दिल्ली से
सम्यक्ता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि
बिहार सरकार, सेकेन्डी, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग को निर्माफित विद्यालयों
को सेन्सुस बोर्ड ऑफ सेकेन्डी सुपेरान, नई दिल्ली द्वारा मान्यता/सम्यक्ता इस शर्त
के साथ देने में कोई आपत्ति नहीं है कि विद्यालय के प्रबंधक द्वारा निम्नलिखित बिधा/
बिधाकेतर कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा राज्य सेवा में कार्यरत बिधाके/
बिधाकेतर कर्मियों के अनुमान्य वेतनमान एवं भत्ता का अनुमान सुनिश्चित किया जाए।

क्रमांक	विद्यालय का नाम-
1.	बन्धुगोपनीय-डी०ए०सी०-पब्लिक स्कूल, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण।
2.	संत पॉल स्कूल सिम्रि ताईन्ना, जी०टी० रोड, ताताराम
3.	श्री राणी सरस्वती विद्या मंदिर, उच्च विद्यालय, पारमिशिव, अररिया
4.	आर०जे०एस० इंटरमैडियट स्कूल बुकिंग टर्मिनल, बोधगया, राजगीर, भेन रोड वजीरगंज, गया
5.	संत जोसेफ स्कूल, नवादा

इसकी सूचना संबंधित विद्यालय के प्राचार्य को दी जा रही है। यह आदेश
तत्कालीन प्रभाव से लागू होगा।

विवातभाजन,

ह0

हुमर गौरीशंकर सिन्हा।

वि. निदेशाका माध्यमिक शिक्षा।

नापांक

251

पटना, दिनांक 22 मई 2002

प्रतिलिपि सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित क्षेत्रीय बिधा उप
निदेशाक/सभी संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी संबंधित विद्यालय के प्राचार्य को
सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. - शैक्षणिक गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा प्रतियुक्त कम-से-
कम एक बार विद्यालय का निरीक्षण किया जाएगा।

वि. निदेशाका माध्यमिक शिक्षा।